

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 — आश्विन 23, शक 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2019/17-दो.— यतः, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रं. एफ 25-15/2009/नौ/55, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया है तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं. ई 1-02/2020/एक-2, दिनांक 11-06-2020 द्वारा श्री के.डी. कुंजाम, भा.प्र.से. को आगामी आदेश तक नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

यतः, राज्य सरकार, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा की ओर से, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के कार्यों के निष्पादन एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिये, अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ की शक्तियों (अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति की शक्ति को छोड़कर) को, श्री के.डी. कुंजाम, भा.प्र.से., नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ को आगामी आदेश तक प्रत्यायोजित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किये गये कार्यों की मासिक रिपोर्ट, श्री के.डी. कुंजाम, भा.प्र.से. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 1-2/2019/17-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 7th October 2020

NOTIFICATION

No. F 1-2/2019/17-Two.— Whereas, the State Government has appointed Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Chhattisgarh as Commissioner, Food Safety for the State of Chhattisgarh by Notification No. F 25-15/2009/IX/55, Dated 10th October, 2014 and assigned Additional Charge of Controller, Food & Drugs Administration, Chhattisgarh to Shri K.D. Kunjam, IAS till further order by Order No. E 1-02/2020/One-2, dated 11-06-2020 of Government of Chhattisgarh, General Administration Department.

Whereas, the State Government on behalf of the Commissioner, Food Safety, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 30 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), hereby, delegates the powers of Commissioner, Food Safety, Chhattisgarh (except the power to appoint Designated Officer, Food Safety Officer and Food Analyst) under sub section (2) of Section 30 of the Act, to Shri K.D. Kunjam, IAS, Controller, Food And Drugs Administration, Chhattisgarh, till further order for carrying out the function and performing the duties of Commissioner, Food Safety, Monthly report of the works done under sub-section (2) of section 30 of the said Act shall be compulsorily submitted to the Commissioner, Food Safety by Shri K.D. Kunjam, IAS, Controller, Food and Drugs Administration.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA SINGH BAGHE, Deputy Secretary.